कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2319 /11–सी–FP/UP/Water/155091/2022, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 16 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषयः– जनपद–ललितपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जाखलौन–बिरधा, धौरा, बालाबेहट, कड़ेसरा कला और मउ ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रभावित 2.024059 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 6.137750 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 8.161809 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 878 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1934/33–1, दिनांक 10.01.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि की वचनबद्धता एवं उसकी खतौनी संलग्न नहीं है।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
4. परियोजना में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अर्थात 4.05 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है किन्तु प्राक्कलन में चयनित स्थल का क्षेत्रफल 4.05 हे0 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल 4.04 हे0 अंकित कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन यथास्थान पर अपलोड करें।
5. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचबद्धता संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी मोहर, तिथि एवं पत्रांक अंकित नहीं है। अतः सही कर संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
7. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।
8. प्रस्ताव में संलग्न किये गये सेंचुरी/वन्यजीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में सेंचुरी/वन्यजीव विहार की दूरी 100 मीटर बताया गया है, किन्तु सेंचुरी/वन्यजीव विहार का नाम व प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रमाण पत्र में इको सेन्सिटिव जोन की स्थिति के बारे में भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः सही व स्पष्ट स्थिति का उल्लेख कर संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–L में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि का विवरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख यथाः Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file अपलोड नहीं है।
10. प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
11. ऑनलाइन भाग–2 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही गैर वनभूमि को अवनत वनभूमि के रूप में दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर ऑनलाइन पार्ट–1 में गैर वनभूमि के रूप में अपलोड करें।
12. संलग्न पेनड्राइव में अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है तथा प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के के0एम0एल0 फाइल अपलोड भी नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2319 /11—सी—FP/UP/Water/155091/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, ललितपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।